न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/85/2022

श्री खेमसिंह जोधा, ग्रांम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जोधपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.11.2022**

अपीलार्थी श्री खेमसिंह जोधा, ग्रांम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जोधपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर,भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2022 से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/796 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा लोक सूचना जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत कोई जबाब प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर लोक सूचना अधिकारी से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अपील / आरटीआई / 85 / 2022
खेमसिह जोधा बनाम ए.डी.एम.

निर्णय प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की निर्णय प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर